भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1489 का उत्तर

गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति

1489.श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:
श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य में अब तक पहचान किए गए गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) स्थलों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यशील जीसीटी की संख्या कितनी है और जारी की गई, उपयोग की गई धनराशि और वर्ष-वार वास्तविक प्रगति का वर्गीकरण कितना है;

(ग) जीसीटी के अंतर्गत वर्ष-वार लक्ष्य क्या हैं और इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के निधियन के तरीके का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति के संबंध में दिनांक 04.12.2024. को लोक सभा में श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव एवं श्री केसिनेनी शिवनाथ के अतारांकित प्रश्न सं. 1489 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): कार्गो टर्मिनलों को स्थापित करने में उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति बनाई गई है, जिसमें गैर-रेल एजेंसियों द्वारा जीसीटी विकसित किए जा रहे हैं। उद्योग से प्राप्त मांग और कार्गो यातायात की संभावना के आधार पर जीसीटी का स्थान तय किया जाता है।

अब तक, देश भर में 354 स्थानों (गैर-रेलवे की जमीन पर 327 और रेलवे की जमीन पर 27) की पहचान की गई है, जिसमें से 23 स्थान आंध्र प्रदेश में हैं।

31.10.2024 तक, 91 जीसीटी कमीशन हो चुके हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में चार (04) जीसीटी शामिल हैं।

जीसीटी नीति के प्रावधानों के अनुसार, अनुमोदन प्रदान किए जाने के चौबीस (24) महीनों के भीतर एजेंसियों द्वारा निर्माण पूरा किए जाने की संभावना है।

*****